

## महत्वपूर्ण एवं खास

प्रताङ्गा से युवती ने लगाई फांसी, मर्ग जांच पश्चात जुर्म कायम

» आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर, कापू थानाक्षेत्र की घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कापू अंतर्गत ग्राम बांधपारा पाराघाटी में रहने वाली अनुरिमा तिक्की (मृतिका) को दिलीप कुजूर पिता बुलकन कुजूर उम्र 20 वर्ष निवासी किरिया पुलिस चौकी रैम्पा करीब 1 साल पूर्व अनुरिमा तिक्की को अपने घर ले गया जहां दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे। दिनांक 07.10.2018 को दिलीप कुजूर और अनुरिमा तिक्की पाराघाटी (कापू) आये थे। दिनांक 08.10.2018 की सुबह दोनों घर में लड़ झगड़ रहे थे जिसे अनुरिमा तिक्की की मां समझाई और खेत काम करने चली गई, शाम को अनुरिमा की मां खेत से काम कर वापस आयी तो देखी अनुरिमा घर की बल्ली में प्लास्टिक की रसी से फांसी लगाकर फैत हो चुकी थी। घटना के संबंध में थाना कापू में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था, जांच पर मृतिका को दिलीप कुजूर द्वारा टेंशन देने प्रताङ्गित करने के कारण फांसी लगाकर फैत हो गई, मर्ग पर से दिनांक 13.11.2018 को अपराध क्रमांक 120/19 धारा 306 भावित के तहत अपराध दिलीप कुजूर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

### छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव का दौरा कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती एवं सचिव बी.एल.बंजारे का 19 एवं 20 नवम्बर 2019 को दो दिवसीय रायगढ़ जिले का भ्रमण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है।

### तीन लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले के तहसील लैलूंगा अंतर्गत 3 तीन लोगों को प्राकृतिक आपाद के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ द्वारा एसडीएम लैलूंगा की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील लैलूंगा के ग्राम-किलोकिला निवासी सुवासो की 21 जुलाई 2019 को संपर्दं से मृत्यु होने पर उनके पति उमेश को 4 लाख रुपए, ग्राम-आमापाली की रामवती की 31 जुलाई 2019 को संपर्दं से मृत्यु होने पर उनके पति जगजीवन को 4 लाख रुपए तथा ग्राम-बुड्डो निवासी नहरसाय की 18 अक्टूबर 2018 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी दिलमेत को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

### दो व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु व एक व्यक्ति के घायल होने पर सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत दो व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने एवं एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में घायल होने पर एसडीएम रायगढ़ द्वारा तहसीलदार की अनुशंसा पर संबंधित व्यक्ति के नजदीकी वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम-रानीगुड़ा के डोलनारायण की 22 अगस्त 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती तुलसी पटेल को 25 हजार रुपए, ग्राम-असामापाली के श्यामलाल चौहान की 26 जुलाई 2017 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती चम्पा चौहान को 25 हजार रुपए तथा भगवानपुर निवासी भरत मिस्त्री की 21 फरवरी 2019 को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उनकी पत्नी श्रीमती प्रिमिला को 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

### मिडमिड़ा में जूटमिल पुलिस ने पकड़ा 15 लिटर कच्ची महुआ शराब

न्याय साक्षी/रायगढ़। चौकी प्रभारी जूटमिल निरीक्षक अंजना करकेट्टा को सूचना मिली कि मिडमिड़ा में रहने वाली शीला साव पति श्रवण साहू 23 साल निवासी डीपा पारा मिडमिड़ा अपने घर पर अवैध रूप से हाथ भट्टी का कच्ची महुआ शराब बिक्री करती है और काफी मात्रा में शराब बिक्री करने के लिए घर में रखी हूँ है। सूचना पर चौकी जूटमिल से सज्जन खेमराज पटेल के हमराह स्टाफ को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया, पुलिस स्टाफ जाकर शीला साव के घर दबिश दिया गया जहां किचन के



अरविन्द साहू व टीआई अंजना के करकेट्टा विशेष रूप उपस्थित थे। इस मौके पर विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण करना है एवं दृष्टि दोष पाये गये विद्यार्थियों को आवश्यक चश्मा प्रदाय करना है।

कार्यक्रम का आयोजन आज प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल राजीव गांधी नगर रायगढ़ में किया गया। इस अवसर पर

अरविन्द साहू व टीआई अंजना के करकेट्टा विशेष रूप उपस्थित थे। इस मौके पर विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण करना है एवं दृष्टि दोष पाये गये विद्यार्थियों को आवश्यक चश्मा प्रदाय करना है।

कार्यक्रम का आयोजन आज प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल राजीव गांधी नगर रायगढ़ में किया गया। इस अवसर पर

### सारंगद व चक्रधरनगर पुलिस की एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही

पास रखे 20 लिटर क्षमता वाली प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर करीब 15 लिटर कच्ची महुआ शराब कीमती (रु.1500) भरा हुआ मिला जिसे जस कर आरोपिया के चौकी जूटमिल में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

(2) दिनांक 13.11.2019 के दोपहर थाना सारंगद स्टाफ के द्वारा तुर्की तालाब तिराहा सारंगद के पास आरोपियों के लिए निर्देशित किया गया, पुलिस स्टाफ जाकर शीला साव के घर दबिश दिया गया जहां किचन के

(3) चक्रधरनगर थाने में



इजारदार पिता आसाराम इजारदार उम्र 61 वर्ष को अवैध बिक्री के लिए हुई 600 ग्राम गंजा कीमती रु. 3,000 का पैदल लेकर अते हुये पकड़े। दोनों थानों में आरोपियों के विरुद्ध 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

(4) दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया, पुलिस स्टाफ जाकर शीला साव के घर दबिश दिया गया जहां किचन के

अपरिवर्तनीय अधिकारी के नाम पर उपस्थित थे।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था। इस संबंध में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था।

पदश्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. डाहरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 13.11.2019 के दोपहर में चौकी जूटमिल के लिए निर्देशित किया गया था